343

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण विभाग
संख्या– 14 /XVII-1/14–02(प्रकोष्ठ)/2014
देहरादून, दिनांक: 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं जनजाति उप योजना (TSP) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या–96/XVII(1)/10–03(प्रकोष्ठ)/2010, दिनांक 04 फरवरी, 2010 एवं सपठित शा0आ0 संख्या–302/XVII(1)/10– 03(प्रकोष्ठ)/2010, दिनांक 03 मई, 2010 द्वारा पूर्व में गठित राज्य स्तरीय समिति को एतद्द्वारा समाप्त करते हुए "उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनाबंटन तथा उपयोग) अधिनियम–2013" की धारा 16(1) के प्राविधानानुसार मा0 मंत्री, समाज कल्याण की अध्यक्षता में "राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति" का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :

1. *मा0 मंत्री, समाज कल्याण* – *अध्यक्ष*
2. *मा0 मंत्री, समाज कल्याण द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 4 विधायकगण* – *सदस्य*
3. *मुख्य सचिव* – *सदस्य*
4. *प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन* – *सदस्य*
5. *प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त* – *सदस्य*
6. *समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (SCSP/TSP से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग)* – *सदस्य*
7. *प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण* – *सदस्य सचिव*
8. *मा0 मंत्री, समाज कल्याण द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 11 गैर सरकारी गणमान्य व्यक्ति* – *विशेष आमंत्रित सदस्य*

2– समिति के कृत्य निम्न प्रकार होंगे :

1) अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विभागों से प्राप्त योजनाओं का अधिनियम में निर्धारित मानकों के सापेक्ष परीक्षण करना।
2) अधिनियम में उल्लिखित मानकों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करना, ताकि सम्बन्धित विभाग बजट की प्रक्रिया पूर्ण करा सके।
3) राज्य सरकार को अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना से सम्बन्धित नीति विषयक परामर्श देना।
4) विभागों को योजनाओं के गठन एवं क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना।

2 पर

5) विभागों की वार्षिक अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
6) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।
7) उप योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की पहचान तथा निराकरण के लिए सुझाव देना।
8) ऐसे अन्य कार्य जो अपेक्षित हैं, को सम्पादित करना।

3– राज्य समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी।

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

संख्या: 14 (1) / XVII-1 / 14–02(प्रकोष्ठ) / 2014 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव–महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 निजी सचिव–मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3 निजी सचिव, मा. मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना / वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
6 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (वन एवं ग्राम्य विकास), उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9 सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
10 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11 मण्डलायुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल।
12 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14 निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15 समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(बी. आर. टम्टा)
अपर सचिव।